(11/1445/nkg-lh)

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब मजदूरों के हित के संरक्षण की दिशा में एक अच्छा कदम इस बिल के माध्यम से उठाया गया है । हमने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सुझाव दिये थे, उनपर माननीय मंत्री जी ने गौर किया । उन सुझावों में से बहुत से सुझाव इन्होंने मान लिए । उदाहरण के तौर पर जो 50 की संख्या थी, उसको घटाकर 10 कर दिया, जो बोर्ड बने, उसमे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंटेशन मिले और इसी तरह से अन्य जो सुझाव थे, उनपर विचार-विमर्श करके सदन की सभी पार्टियों को इन्होंने कान्फीडेंस मे लिया ।

मैं इस अवसर पर इतना ही कहता हूं कि यह जो एमेंडिड बिल आया है, इसपर सरकार ने एक अच्छी परिपाटी शुरू की है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एमेंडमेंट लाई है, इसलिए हम सरकार का अभिनंदन करते है । परन्तु हम इस अवसर पर इतना जरूर कहेंगे, सरकार को इशारा करना चाहेंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा मे सरकार को विशेष सक्षता की आवश्यकता है, नहीं तो यह पार्लियामेंट कई कानून बना देती है । कानून कानून की किताब में रह जाते हैं, पर असल मे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है । मैं इस अवसर पर विशेष आग्रह करूंगा कि यह जो बोर्ड बने, उसको विशेष अधिकार दे, स्टेट बोर्ड्स बनें, उनको विशेष अधिकार दें और उनको एक्टीवेट करे, जिससे सही मायनों में मजदूरों का एक्सप्लायटेशन नहीं हो, मजदूरो पर कहीं भी अन्याय नहीं हो और अन्याय करने वालों को दंडित किया जा सके ।

इतना कहते हुए मै पुनः माननीय मंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि यह पहला कदम है और मजदूरों के हित मे, मजदूरों के हित के संरक्षण की दिशा में जो यह कदम है, यह रुके नहीं, यह कदम आगे ही आगे बढते जाएं, इतना ही मेरा कहना है ।